

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1)के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला सोनी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि मारवाड मूण्डवा, नागौर (220042) जिनकी जन्म तिथि:- 01.07.1970 ने दिनांक 01.08.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.11.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्रीमती उर्मिला सोनी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि मारवाड मूण्डवा, नागौर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.11.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती उर्मिला सोनी के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2022 / 158

दिनांक- 23/08/22

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रप्रेषित -

01. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
02. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
04. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
05. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग/डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. प्रधानाचार्य, राबाउमावि मारवाड मूण्डवा, नागौर।
08. श्रीमती उर्मिला सोनी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि मारवाड मूण्डवा, नागौर।
09. निजी एवं रक्षित पत्रावली

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर